

मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोटकासिम (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कोर्ट देखावा

न्यायालय अधिकारी :- बलवन्तसिंह लिग्री, आर.ए.एस.

उनवान

वादाबाबत सुश्रीमा बनाम सुश्रीमा
मुकदमा नम्बर :- 294/28-10-2014
निर्णय दिनांक :- 28-05-2016

वादी की ओर से सुश्रीमा की व प्रतिवादी की ओर से सुश्रीमा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28-05-2016 को बलवन्तसिंह लिग्री, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि :-

विवादित आणीत रव.नं. 443/0.15, 78/1.15, 499/1.15 तथा वाके शाप भीटपुल न.ए. कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर में वादी (1) सुश्रीमा (2) सुश्रीमा के 1/4 हिस्से का बड़े भीटपुल एंड बड़े सुश्रीमा विवाजन किसे जाने के आदेश दिए जाते हैं तहसील कोटकासिम को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे कि वह उक्त विवादित आणीत रव.नं. के विवाजन उत्तराव लेखल कर अलग रूपता व बगल कायम कर सुश्रीमा इस कसिल में प्रेषित करें। निर्णय आज दिनांक 28-05-2016 को जज सुश्रीमा में लिखा जाकर हुआ गया।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 28-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

H
(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
कैम्प कोर्ट देखा

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तागील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	